गर्भवती महिला को पैदा हुआ मृत बच्चा

गुस्साए परिजनों ने की चिकित्सकों के साथ मारपीट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

पीतमपुरा इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने चिकित्सकों के साथ जमकर मारपीट की। घटना की जानकारी गुरुवार को पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि रानी बाग की रहने वाली एक गर्भवती महिला को बुधवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पर सामान्य प्रसव (नार्मल डिलिवरी) नहीं करवा कर महिला का अस्पताल में आपरेशन किया गया था। लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने न केवल चिकित्सकों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि मारपीट करने के साथ-साथ अस्पताल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त ऊषा रंगनानी ने गुरुवार को बताया कि एक चिकित्सक की शिकायत और एमएलसी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 34 (सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों के किए गए कार्य) के तहत नेताजी सुभाष प्लेस थाना में मामला दर्ज किया गया है।

इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ दिल्ली चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक और चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा और संपत्ति की क्षति की रोकथाम) अधिनियम, 2008 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले में आगे की छानबीन कर रही है।

उपायुक्त ने बताया कि रानी बाग की रहने वाली गर्भवती साक्षी शर्मा (26), पति निखिल शर्मा को बुधवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुरुवार को चिकित्सकों ने साक्षी की परेशानियों को देखते हुए समान्य प्रसव की बजाय आपरेशन किया। पर मृत बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद साक्षी के परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। परिवार का आरोप था कि चिकिसत्कों की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की कोशिश की और तोड़फोड़ करने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पहले बच्चे के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए बाबा साहब आंबेडकर अस्पताल भेजा।

उषा रंगनानी ने बताया कि एक चिकित्सक क्रांति शमुखा ने महिला के परिजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ बयान दिया है कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों के साथ मारपीट करने के अलावा अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि तीनों चिकित्सकों की एमएलसी (मेडिको-लीगर केस) रिपोर्ट में पाया गया है कि उन्हें लगी चोट गंभीर नहीं हैं।

दक्षिणी निगम ने बनाई 'माई पार्किंग ऐप'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से बनाई गई दिल्ली की पहली स्मार्ट ऐप 'माई पार्किंग' का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं दक्षिणी दिल्ली के महापौर ने लोकार्पण किया। बता दें कि इस ऐप पर न सिर्फ दक्षिणी निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पार्किंग की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध होगी बल्कि पार्किंग की क्षमता एवं उपलब्धता इत्यादि की जानकारी भी आसानी से लोगों को पता लग सकेगी। इस मौके पर स्थाई समिति अध्यक्ष कर्नल (रिटायर) बी के ओबेराय, आयुक्त ज्ञानेश भारती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

समझौता पत्र के हस्ताक्षर के मुताबिक 'बीइसीआइएल' दक्षिणी निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पार्किंग स्थलों के लिए ऐप आधारित स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था का कार्यान्वयन करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्किंग ऐप की सहायता से नागरिक घर बैठे ही पार्किंग स्थल की उपलब्धता देख सकेंगे एवं स्थल पर अपना स्थान सुगमता से आरक्षित करा सकेंगे। इसके फलस्वरूप दिल्ली के नागरिकों को पूरा नया अनुभव मिलेगा। ऐप की सहायता से पूर्णतः नगद एवं कागज रहित लेनदेन किया जाएगा। इस कारण कई किलो कागज की बचत होगी। आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कहा कि वर्तमान में दक्षिणी निगम अपने सभी चार क्षेत्रों में 145 स्थल पार्किंग का परिचालन कर रहा है। इसके अलावा छह बहुस्तरीय एवं दो आटोमेटेड पार्किंग स्थल भी हैं।

इस पार्किंग ऐप का निर्माण दक्षिणी निगम ने 'ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड' के साथ मिलकर किया है। ऐप के निर्माण एवं रखरखाव का पूरा अधिभार 'बीईसीआइएल' वहन करेगी। इसके साथ ही सर्वर एवं उसके हार्डवेयर व साफ्टवेयर संबंधित पूंजीगत व्यय भी 'बीईसीआइएल' वहन करेगी।

इस ऐप को वाहन ऐप,फास्ट-टैग, ई-चालान एवं अन्य सरकारी उपक्रमों के साथ एकीकृत किया जाएगा। नागरिकों की सहायता के लिए 'बीईसीआइएल' एक ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करेगा जो कि ऐप के प्रयोग से संबंधित नागरिकों के सवाल एवं परेशानियों के निराकरण में सहायता करेगा।

राजधानी में तैनात किए जाएंगे 2500 नागरिक सुरक्षाकर्मी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि सरकार के 'रेड लाइट आन, गाड़ी आफ' अभियान के तहत 2,500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। यह अभियान 18 अक्तूबर से शुरू होगा। जिसका मकसद वाहनों से होने वाले प्रदूषण को काबू करना है। राय ने कहा कि यह अभियान 13 पुलिस जिलों के 100 यातायात चौराहों पर शुरू किया जाएगा।

राय ने कहा कि दिल्ली पुलिस, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों, पर्यावरण विभाग के अधिकारियों और उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के साथ गुरुवार को हुई संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया।उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदूषण रोकने के लिए यह अभियान 13 पुलिस जिलों के 100 चौराहों पर चलाया जाएगा और 90 चौराहों पर 10-10 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के समूह को तैनात किया जाएगा। अन्य 10 प्रमुख चौराहों पर 20 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के समूह को तैनात किया जाएगा।

कवि दिनकर पर व्याख्यान का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्य) में कवि 'दिनकर का इतिहास और वर्तमान-बोध' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डा रमेश कुमार ने इस दौरान कहा कि ऐसे आयोजनों से पूरे महाविद्यालय में स्वस्थ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा का आगाज होगा। प्राचार्य ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर क्रांतिकारी कवि थे। 'रश्मिरथी' उनकी बहुत चर्चित रचना है। कार्यक्रम के विशेष वक्ता डा अनिल राय ने कहा कि इस विषय के चयन के पीछे यह मंतव्य था कि दिनकर के बारे में एक ठोस समझ को अपने छात्रों के बीच रखकर उसे विकसित कर पाएं।

दिनकर की अनेक कविताएं यह बताने के लिए काफी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर सही मायने में हिंदी साहित्याकाश के वास्तविक दिनकर हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा
शाखा कार्यालयः कुंडली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
(प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के साथ के पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे वर्णित राशि अदायगी और खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार और गारंटर व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 व उप धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के अंतर्गत वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ता का विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन नीचे खाते के अंतर्गत वर्णित तिथि को राशि तथा उस पर ब्याज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

कर्जदार/गारंटर का नाम	रेहन सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	बकाया राशि
श्री/श्रीमती जयपाल उर्फ महीपाल सुपुत्र श्री थम्मू	श्री जयपाल उर्फ महीपाल सुपुत्र श्री थम्मू के नाम पर गांव खेड़ी मनजात के राजस्व एस्टेट, तहसील राई, जिला सोनीपत, हरियाणा रकबा 21 कनाल 6 मरले या 2.66 वर्ग एकड़ में खेवट नं. 51, खाता नं. 59 धारक रेक्ट व किला नं. 12//4/2/2, 5/2, 13//1 मिन, 10 मिन में निर्मित भवन और भूमि से युक्त संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्ध- उत्तर में: अन्य की कृषि भूमि, दक्षिण में: अन्य की कृषि भूमि, पूर्व में: रेलवे लाईन, पश्चिम में: सड़क।	17.04.2021	11.10.2021	2,98,46,296.15/- रू. (केवल दो करोड़ अठानवे लाख छियालीस हजार दो सौ छियानवे रुपये और पन्द्रह पैसे) तथा उस पर ब्याज

दिनांकः 14.10.2021 स्थानः कुंडली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आंचलिक कार्यालयः 30- मोहब्बेवाला, I व S बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अंतर्गत (नियम 8 (1))

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (54 नियम 2002) तथा सिक्योरिटी इन्सट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित उप धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने सम्बन्धित ऋणी / गारन्टर के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के प्राप्ति के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी / गारन्टर द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी / गारन्टर और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** उनके खाते के सामने दी गई तारीख पर ले लिया है। ऋणी / गारन्टर को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक संबंधित शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1.	**शाखाः गुमानीवाला, ऋषिकेश** **ऋणीः** श्री सचिन कुमार पुत्र बालेश कुमार (प्रो. गुरुकृपा एंटरप्राइजेज) निवासी बाईपास फाटक शॉप नंबर 1, गुमानीवाला जिला देहरादून, **गारंटरः** 1. ओम प्रकाश पुत्र नैन सिंह, 2. डॉली पत्नी सचिन कुमार 3. आलोक कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार।	बंधक सम्पत्ति न्यू खाता खतौनी नं. 197 (1420 से 1425 फसली) खसरा नं.162 मिन क्षेत्रफल 400 वर्ग मी. या 4050 वर्ग फीट स्थित मौजा गुमानीवाला, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून, मूल विक्रय विलेख दिनांक 28.04.1978 क्रमांक नं0 3323 सब रजिस्टार कार्यालय ऋषिकेश में पंजीकृत, सीमाएंः उत्तर- बीना ट्रेडर्स की दुकान, पश्चिम- अन्य की सम्पत्ति, पूर्व- ऋषिकेश-हरिद्वार रोड, पश्चिमः विकेता की सम्पत्ति।	10.06.2021 कब्जे की तारीख **12.10.2021**	रु0 **1068473.40** तक 31.05.2021 + ब्याज एवं खर्चे, w.e.f. दिनांक 01.06.2021 -रिकवरी यदि कोई
1.	**शाखाः जीटीबी पटेल नगर (एस0815), सहारनपुर** **ऋणीः** श्रीमती अंजू पत्नी श्री कृष्ण कुमार, निवासी 07 पेपर मिल रोड जगदंबा कालोनी, हिम्मत नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247001, **बंधक/ऋणीः** श्रीकृष्ण कुमार पुत्र श्री शिव प्रकाश, निवासी 07 पेपर मिल रोड, जगदंबा कॉलोनी, हिम्मत नगर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247001, **गारंटरः** श्री कमलेश नाथ तिवारी पुत्र श्री राजेंद्र नाथ तिवारी, निवासी इंदिरा गांधी कालोनी (बस्ती) हिम्मत नगर सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247001।	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं पार्सल प्लॉट नं. 117, खसरा नं. 1603 एवं 1607 क्षेत्रफल 112.40 वर्ग मी. विनय विहार कालोनी, सहारनपुर मौजा शेखपुरा, कदीम, परगना तहसील एवं जिला सहारनपुर क्षेत्रफल 112.40 वर्ग मी. सम्पत्ति स्वामी श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री शिव प्रकाश, सब रजिस्टार कार्यालय सहारनपुर में बही नंबर 1, जिल्द नं0 1016, पेज नं0 754 से 774 क्रमांक 4845 दिनांक 31.07.2006 में 112.40 वर्ग मीटर में विधिवत पंजीकृत हैं। सीमाएंः उत्तर- प्लाट नं0 116, दक्षिण-प्लाट नं0 117अ, पूर्व- 25 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- विक्रेता की दीवार क्रेता से संबंधित नहीं है।	09.04.2021 कब्जे की तारीख **12.10.2021**	रु0 **1412175.85** (रु0 **532563.54** + रु0 **879612.31**) तक 31.03.2021 + ब्याज एवं खर्चे, w.e.f. दिनांक 01.04.2021 घटाव कोई रिकवरी

दिनांक : 14.10.2021 स्थानः देहरादून प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

आपका सहयोग

'प्रवेश वर्जित क्षेत्र'
में प्रवेश अनुमति

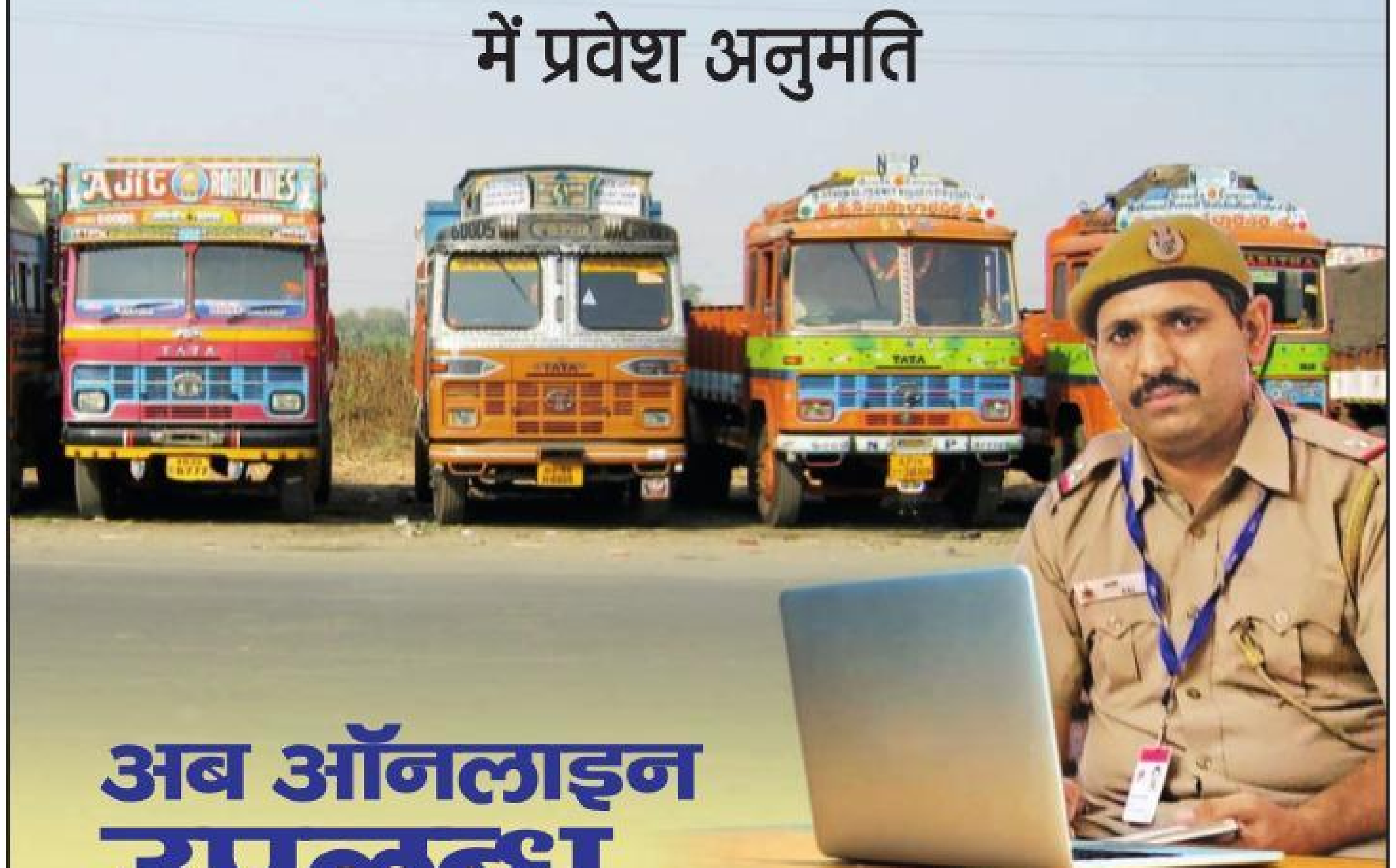

अब ऑनलाइन उपलब्ध

वर्ष 2022 के लिए सामान ढोने वाले कमर्शियल वाहनों को अब ऑनलाइन अनुमति

ऑनलाइन आवेदन के लिए **www.delhitrafficpolice.nic.in** पर लॉग ऑन करें

15 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक
ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं

एक बार अनुमति मिल जाने के बाद स्टिकर ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल/ई-मेल पर एक एसएमएस/ई-मेल प्राप्त होगा। आवेदक को अनुमति ऑनलाइन भेजी जाएगी जहां से वह प्रवेश वर्जित स्टिकर डाउनलोड कर पाएगा।

सभी दस्तावेज़ों को वैधता (आवश्यक होने तक) के साथ मूल रूप में अपलोड करना आवश्यक है जो कि आवेदन के समय ऑनलाइन दर्ज किये जाएंगे।

आप हमसे जुड़े :
https://twitter.com/dtptraffic
https://www.facebook.com/dtptraffic

24 घंटे यातायात हेल्पलाइनः **1095/25844444**

ट्रैफिक प्रहरी बनें
एप डाउनलोड करें
App Store व Google Play

सी.पी., दिल्ली को cp.rakeshasthana@delhipolice.gov.in पर ई-मेल करें | सी.पी., दिल्ली को पो.ऑ.बॉक्स नं. 171, जी.पी.ओ., नई दिल्ली पर लिखें।

DP/9295/2021

तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 112 पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

Indiabulls REAL ESTATE

Indiabulls Real Estate Limited

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30 September 2021

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 months ended 30 Sept. 2021 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 30 June 2021 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended 30 Sept. 2020 (Unaudited)	Year to date figures for current period ended 30 Sept. 2021 (Unaudited)	Year to date figures for previous period ended 30 Sept. 2020 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	38,124.76	53,203.12	5,070.23	91,327.88	14,573.95	1,66,205.95
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,347.43	2,134.59	(7,782.05)	4,482.02	(16,879.92)	7,519.33
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,347.43	2,134.59	(7,782.05)	4,482.02	(16,879.92)	7,519.33
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	553.52	476.24	(7,613.84)	1,029.76	(17,070.32)	430.25
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(8,805.33)	12,286.13	(7,649.25)	3,480.80	(14,450.60)	777.37
6	Equity Share Capital	9,030.77	9,030.77	9,030.77	9,030.77	9,030.77	9,030.77
7	Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)						
	- Basic (Amount in ₹)	0.12	0.10	(1.67)	0.23	(3.75)	0.10
	- Diluted (Amount in ₹)	0.12	0.10	(1.67)	0.23	(3.75)	0.10
	Earnings per Share (EPS) after extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)						
	- Basic (Amount in ₹)	0.12	0.10	(1.67)	0.23	(3.75)	0.10
	- Diluted (Amount in ₹)	0.12	0.10	(1.67)	0.23	(3.75)	0.10

Notes : 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 14 October 2021.

2. **Key Standalone Financial Information:** (₹ in Lakhs)

Particulars	3 months ended 30 Sept. 2021 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 30 June 2021 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended 30 Sept. 2020 (Unaudited)	Year to date figures for current period ended 30 Sept. 2021 (Unaudited)	Year to date figures for previous period ended 30 Sept. 2020 (Unaudited)	Previous year ended 31 March 2021 (Audited)
Total Income	228.94	342.94	1,505.37	571.87	2,789.75	4,718.40
(Loss) / Profit before Tax	(1,194.06)	(1,509.92)	(3,232.92)	(2,703.99)	(10,471.93)	(13,926.44)
Net (Loss) / Profit after Tax	(1,182.91)	(1,523.86)	(3,259.23)	(2,706.78)	(10,488.15)	(13,962.58)

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (https://indiabullsrealestate.com) and on the website of BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com).

Registered Office: Plot No. 448-451, Udyog Vihar, Phase-V, Gurugram - 122016, Haryana
(CIN : L45101HR2006PLC095409)

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Gurugram
Date : 14 October 2021

Mehul Johnson
Joint Managing Director

www.readwhere.com